12

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(3) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला अनुदान/2012/1081-1133 जयपुर, दिनांक 28-01-13

जिला कलेक्टर,
अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर
नागौर, झुंझुनू, जोधपुर, चूरू
राजसमंद, पाली, जैसलमेर एवं सीकर ।

विषयः– अभाव संवत् 2069 में अभावग्रस्त जिलों में पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ1 (1)(4) आ.प्र. सआ/सामान्य/2012/287–345 दिनांक 04.01.2013 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। अभाव संवत 2069 में आपके जिले में अभावग्रस्त क्षेत्र की पंजिकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटे पशुओं हेतु एसडीआरफ नोर्म्स के अनुसार अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव प्रेषित करें। भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.09.2012 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के संशोधित मानदण्डों में गौशाला अनुदान के लिए आपके जिले को आवश्यकता अनुसार 30 दिवस की अवधि के लिए अधिकृत किया जाता है। उक्त अनुदान पहली बार में 60 दिवस के लिए तथा भीषण सूखा की स्थिति में 90 दिवस तक राज्य कार्यकारी समिति के आंकलन से बढ़ाया जा सकता है।

अनुदान स्वीकृत करने के विस्तृत दिशा–निर्देश सहायता निर्देशिका के अध्याय–6 बिन्दु सं. 6.1 से 6.3.4 में अंकित है। इस सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेः–

1. <u>अनुदान दर–</u>
   सहायता निर्देशिका के बिन्दु संख्या 6.2.6 में संशोधन अनुसार गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं में बड़े पशु हेतु 32/– रूपये तथा छोटे पशु हेतु 16/– रूपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।

2. <u>पशु आहार–</u>
   (i) निर्धारित दर से अनुदान उसी स्थिति में स्वीकृत किया जावे, जबकि गौशाला संचालको द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ–साथ क्रमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशुओं हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित मात्रा में पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सहायता निर्देशिका के बिन्दु संख्या 6.2.11 के तहत वर्ष 2012 से

निर्धारित नई दरों के संशोधन अनुसार पशु आहार की राशि क्रमशः 11/– रूपये बड़े पशु तथा 5.50 रूपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।

(ii) आर.सी.डी.एफ/राजफैड द्वारा निर्मित अथवा राजफैड/आरसीडीएफ द्वारा क्रय कर आपूर्ति किया गया पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही अनुदान देय होगा।

3. <u>निरीक्षण मापदण्ड–</u>

अनुदान हेतु अनुमत सभी गौशालाओं का माह में एक बार जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावें। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित हैः–

क्र. स.	नाम अधिकारी	न्यूनतम निरीक्षण	कार्य क्षेत्र
1.	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25 प्रतिशत	तहसील/पं. समिति
2.	उपखण्ड अधिकारी	10 प्रतिशत	उपखण्ड
3.	अति. जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सम्मिलित रूप से)	5 प्रतिशत	जिला
4.	जिला कलक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला
5.	पशुपालन/चिकित्सा के अधिकारी	प्रत्येक गौशाला, माह में 2 बार	तहसील/पं. समिति

4. <u>अनुदान की देयताः–</u>

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है, उसके लिए जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

(i) ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो ।

(ii) गौशाला के लेखे जोखे सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालाओं में निम्न लिखित रजिस्टरों का संधारण कराया जावें।:–

क. खरीद एवं स्टाक रजिस्टर
ख. पशुओं का रजिस्टर
ग. दैनिक खर्च रजिस्टर

घ. दैनिक खर्च का हिसाब

(iii) जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशालाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।

5. भुगतानः—

गौशाला द्वारा सरंक्षित किये जा रहे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा कियें जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

भवदीय

शासन सचिव

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0.., जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज0.,जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, जिला प्रभारी मंत्री, राज.0, जयपुर।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, राज0., जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज.0, जयपुर।
9. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेंर, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर ।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
12. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव